

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प07(16)राज/वाद/2021

जयपुर, दिनांक 22/03/2022

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक प0 7(7)राज/वाद/12 जयपुर, दिनांक 20.12.2012 के द्वारा कार्यालय निदेशालय, विधि(राजकीय वादकरण), राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण में दिनांक 01.04.06 की स्थिति में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जारी की गई वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन करते हुये अंतरिम वरिष्ठता सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	योग्यता	विभाग में कार्यग्रहण की दिनांक
1	श्री हजारी लाल सैनी	06.12.1958	8वीं	04.10.1983
2	श्री श्रीनारायण सिंह	10.02.1961	8वीं	04.10.1983
3	श्री कैलाश नारायण	09.09.1962	8वीं	18.04.1984
4	श्री भगवत सिंह चूडावत	13.05.1968	8वीं	01.10.1985
5	श्री बाला राम	20.06.1964	साक्षर	01.01.1986
6	श्री जगदीश नारायण मीणा	08.07.1966	8वीं	05.02.1986
7	श्री रामनारायण मीणा	01.07.1966	8वीं	15.02.1986
8	श्री लक्ष्मण लाल मीणा	02.10.1965	6वीं	03.03.1986
9	श्री मंगल चन्द मीणा	02.07.1964	7वीं	05.03.1986
10	श्री भागीरथ मल मीणा	12.12.1967	साक्षर	05.03.1986
11	श्री मान सिंह	01.07.1963	8वीं	31.05.1986
12	श्री नियामत खां	05.11.1960	9वीं	30.06.1986
13	श्री सुभाष शर्मा	15.08.1964	8वीं	18.07.1986
14	श्री कृपाशंकर भट्ट	09.06.1961	8वीं	17.09.1986
15	श्री बिरदी चन्द	07.07.1965	8वीं	19.09.1986
16	श्री परबत सिंह	13.03.1959	8वीं	05.11.1986
17	श्री अशोक मीणा	01.01.1966	8वीं	01.12.1986
18	श्री सकत सिंह	16.09.1953	-	02.01.1987
19	श्री बंशी लाल	01.04.1966	-	02.01.1987
20	श्री बंशी लाल	01.07.1961	साक्षर	01.04.1988
21	श्री जय सिंह	19.06.1959	6वीं	31.10.1988
22	श्री सुल्तान सिंह रैगर	15.08.1970	8वीं	19.12.1988
23	श्री लड्डू लाल बैरवा	05.08.1970	8वीं	22.12.1988
24	श्री देवकरण गुर्जर	15.07.1969	साक्षर	08.06.1989
25	श्री मुक्तिलाल रैगर	11.05.1966	8वीं	12.06.1989
26	श्री कैलाश चन्द सैन	15.08.1969	साक्षर	04.09.1989
27	श्री मान सिंह	27.02.1971	साक्षर	16.02.1990
28	श्री रामखिलाड़ी शर्मा	01.10.1964	साक्षर	03.08.1990
29	श्री तेजराम	21.08.1969	9वीं	23.03.1991
30	श्री घनश्याम पुरोहित	15.03.1966	साक्षर	03.04.1991
31	श्रीमती मनफूली देवी	13.12.1968	साक्षर	08.12.1991
32	श्री बचन सिंह	18.08.1965	साक्षर	23.09.1992
33	श्री किशन लाल जाट	01.07.1966	10वीं	16.04.1993
34	श्री शिव कुमार	26.11.1968	5वीं	26.04.1993
35	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	07.07.1972	9वीं	19.06.1993
36	श्री रामदयाल सैनी	01.08.1970	-	06.10.1993
37	श्री प्रेम सिंह जाटव	28.06.1971	8वीं	09.10.1993
38	श्री यशवंत राखेजा	26.01.1968	10वीं	30.11.1993
39	श्री हरि सिंह इंदा	08.07.1972	10वीं	03.01.1994
40	श्री गोपी चन्द कुमावत	02.12.1967	8वीं	07.01.1994
41	श्री राजेन्द्र सिंह इंदा	15.01.1967	9वीं	01.02.1994
42	श्री छाजू राम मीणा	03.06.1964	स्नातक	07.02.1994
43	श्री हीरा लाल बैरवा	02.03.1970	10वीं	21.04.1994
44	श्री धर्मपाल पुत्र श्री नारायणा राम	08.05.1967	10वीं	26.04.1994
45	श्री राजेश चन्द लेखरा	02.01.1967	8वीं	01.05.1994
46	श्री पारस सिंह सौलकी	06.04.1972	साक्षर	04.07.1994
47	श्री प्रहलाद सैन	20.08.1956	8वीं	17.08.1994
48	श्री विजय सिंह	15.07.1966	10वीं	06.01.1995

49	श्री हजारी लाल शर्मा	01.09.1963	12वीं	11.01.1995
50	श्री राजेश कुमार	21.07.1974	10वीं	05.02.1995
51	श्री रामस्वरूप गुर्जर	02.07.1972	10वीं	06.11.1995
52	श्री महेन्द्र शर्मा	20.12.1972	—	23.11.1995
53	श्री रामविलास सैन	12.09.1971	—	05.01.1996
54	श्री कैलाश चन्द मीणा	10.11.1969	—	11.01.1996
55	श्री रमेश मोर्य	22.09.1972	—	11.01.1996
56	श्री कालू राम घोषी	01.11.1973	साक्षर	28.01.1997
57	श्री भगवान लाल मीणा	20.09.1971	8वीं	01.09.1997
58	श्री घनश्याम चन्देल	20.07.1975	10वीं	05.08.1998
59	श्रीमती विमला देवी	31.12.1975	साक्षर	25.09.1998
60	श्री मनोहर लाल साहनी	04.12.1966	12वीं	26.09.1998
61	श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी	10.11.1963	10वीं	01.12.1999
62	श्री विकास पारीक	28.06.1977	8वीं	16.08.2001
63	श्री विक्रम सिंह	01.07.1986	8वीं	07.07.2003

नोट:-

1. श्री शैलेन्द्र सिंह तंवर की विभागीय आदेश दिनांक 23.09.2011 संशोधित आदेश दिनांक 03.02.2020 के द्वारा दिनांक 23.09.2011 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवाएं नियमित की गई है। अतः श्री तंवर का नाम दिनांक 23.09.2011 के पश्चात जारी की जानी वाली वरिष्ठता सूची में यथास्थान रखा जावेगा।
2. श्री पंकज कुमार शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं नियमित नहीं होने के कारण इनका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
3. उक्त अंतरिम वरिष्ठता सूची के संबंध में अगर किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो, वह अपनी आपत्ति उक्त वरिष्ठता सूची जारी होने की दिनांक से 03 दिवस की अवधि में अपने कार्यालय के माध्यम से इस विभाग को जरिये ई-मेल (secretarylaw@rajasthan.gov.in) प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं कर, अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

३०

(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

  
22/3/22  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि